शिक्षा

14

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2023–24 में सरस्वती सायकल योजना के तहत् 1,64,700 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2023–24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय अतंर्गत 53,72,806 छात्र छात्रएं लाभान्वित।
- सत्र 2022–23 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 89.95 एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 91.58 है।
- उच्च शिक्षा विभाग के प्रदेश–व्यापी विस्तार के कारण राज्य में अब कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, 15 निजी विश्वविद्यालय, 285 शासकीय महाविद्यालय, 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अनुदान–अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। फलतः वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल छात्र–संख्या 335139 है।
- प्रदेश में तकनीकी शिक्षा वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, 01 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय एवं 22 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कुल प्रवेश क्षमता 10,290 के साथ संचालित है।

शिक्षा

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात् ही संपूर्ण राज्य में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 06 से 18 वर्ष आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चों हेतु प्रदेश में आवश्यकतानुसार नये विद्यालयों की स्थापना एवं विद्यालयों को आवश्यकतानुसार उन्नत एवं विकसित किया जा रहा है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु इसी अनुक्रम में राज्य में सत्र 2020 से उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन भी एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास है। राज्य में शाला त्यागी विद्यार्थियों को चिन्हांकित कर उनकी शिक्षा हेतु उन्हें विशेष आवासीय विद्यालय/गैर आवासीय विद्यालयों में लाने का प्रयास किया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के दृष्टिकोण से प्रदेश में शालाएं खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है अब मात्र जनसंख्या वृद्धि होने पर ही नवीन शालाएं खोलने की आवश्यकता होगी। प्रदेश ने लगभग 57 लाख विद्यार्थियों को शाला में नियमित रूप से जोड़ने में सफलता हासिल की है।

प्रदेश में प्रत्येक छात्र के गुणवत्ता स्तर में उन्नयन हो, उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए आउटकम लर्निंग शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के छात्र कक्षा स्तर के अनुकूल ज्ञान अर्जन करे इस हेतु राज्य स्तरीय आंकलन का सहारा लिया गया जिसमें प्रत्येक बच्चे के स्तर का मापन एवं मूल्यांकन लिपिबद्ध ढंग से रखा गया है। जिसके आधार पर आगामी वर्षों में प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण माह अप्रैल में किये जाने की योजना है। प्रदेश के छात्र पढ़ाई में सहज ढंग से आगे अग्रसर हो इस हेतु प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। इन सबका मूल उद्देश्य यह है कि, प्रत्येक छात्र एक समान गति से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े।

राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के संचालन के कारण विद्यालयों में बालक बालिकाओं की दर्ज संख्या में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है। विगत वर्षो की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का रूझान भी शिक्षा के प्रति बढ़ा है। राज्य शासन की प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रति वचनबद्धता से सभी स्तर पर छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि पायी गयी है। कोविड महामारी के कारण शालाएँ नही खुल सकी इस समस्या को चुनौती मानकर विभाग द्वारा महति योजना **''पढ़ाई तुंहर दुआर''** के माध्यम से छात्रों तक अध्यापन पहुँचाया गया एवं पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी है। शासकीय विद्यालयों में छात्र–छात्रा अनुपात लगभग समान है परन्तु गुणवत्तायुक्त शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करे। यद्यपि विकास समितियां हैं तथापि शासन की यह मंशा है कि, शिक्षण के क्षेत्र में तभी प्रगति प्रदर्शित होगी जब समाज अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालय की स्वयं कार्ययोजना तैयार करे। बच्चों के लिए नवाचार, एक्टिव लर्निंग पद्धति, प्रोफेशनल लर्निंग कमिटी एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग विभाग प्राप्त कर रहा है। विभाग इस संबंध में बाइसवीं शताब्दी को दृष्टिगत् रखते हुए शिक्षा के संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी अध्ययन–अध्यापन में करने हेतु तत्पर है।

राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद के अंतर्गत 2 शिक्षा महाविद्यालय, 1 अनुदान प्राप्त तथा 240 निजी शिक्षा महाविद्यालय, 19 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं 3 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, जिसमें 2 शिक्षा विभाग की एवं 1 अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था है एवं 68 अशासकीय महाविद्यालयों में डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित है। 7 आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। परिषद को निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत् राज्य हेतु अकादमिक प्राधिकारी घोषित किया गया है, वह विभाग के समस्त प्रशिक्षण तथा अकादमिक कार्य के साथ–साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण, पुनरीक्षण एवं नवाचार का कार्य भी करती है।

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता बढ़ाने एवं निरक्षरता के उन्मूलन हेतु मुख्यमंत्री शहरी साक्षरता कार्यक्रम का संचालन राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :–.

1. प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)।
2. प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन।
4. अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण।
5. छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/सामयिक पुनरीक्षण।
6. शिक्षकों की भरती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार।
8. शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था।
10. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।
11. शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था।
12. परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था।
13. निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था।
14. समग्र शिक्षा अभियान का संचालन।
15. वयस्क असाक्षर (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
16. नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा का प्रबंध।
17. सबके लिए शिक्षा व्यवस्था।
18. मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण।
19. संस्कृत शिक्षा का विकास।
20. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करना।

14.1.1 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

विभाग का नाम	–	स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाम	–	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य	–	अनुसूचित जाति, जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु
हितग्राही की पात्रताएं	–	शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राएं।
मिलने वाले लाभ	–	रू. 500/– प्रति वर्ष (दस माह हेतु)
आवेदन की प्रक्रिया	–	छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन

योजना के तहत वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति की कुल 68283 छात्राओं को कुल रूपये 2,87,52,500/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 30826 छात्राओं को कुल रूपये 1,14,77,500/– का भुगतान किया गया है।

योजना के तहत वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जनजाति की कुल 57046 छात्राओं को कुल रूपये 1,01,50,500/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 23319 छात्राओं को कुल रूपये 2,54,93,500/– का भुगतान किया जा रहा है।

14.1.2 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :–

विभाग का नामः–	स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामः–	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना।
कियान्वयन एजेंसीः–	स्कूल शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान।
कार्यक्षेत्रः–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्यः–	विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्सहन।
मिलने वाले लाभः–	निःशुल्क पाठ्य पुस्तके।
चयन प्रक्रियाः–	कक्षा 01 से 10 तक अध्ययनरत शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त (हिन्दी अंग्रेजी माध्यम) एवं स्‍ वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम जिसमें छ.ग. पाठयक्रम संचालित है उन सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय हेतु लोक शिक्षण एव समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रदाय किया जाता है। शिक्षा सत्र 2022–23 एवं 2023–24 के लिये लोक शिक्षण मद में बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 14.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय (करोड़ रू.में)			
वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
2022–23	160,10,58,572	160,10,58,572	52,65,342
2023–24	185,77,62,950	116,08,87,537	53,72,806

14.1.3 निःशुल्क गणवेश योजना :–

विभाग का नाम : स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाम : निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना
कियान्वयन एजेंन्सी : स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा
कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य : विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन
मिलने वाला लाभ : निःशुल्क गणवेश
पात्रता : कक्षा 01 से 08 तक शासकीय विद्यालयों के बालक–बालिकाओं को दो सेट गणवेश प्रदाय तथा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बालक/बालिकाओं को एक सेट गणवेश प्रदाय।
सत्र 2023–24 हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान : 76.50 करोड़
पात्र हितग्राही बालिकाओं की संख्याः

शासकीय विद्यालय कक्षा 01 से 08 तक

लोक शिक्षण –	750372
समग्र शिक्षा –	2414633
पंजीकृत मदरसा–	15431
कुल योगः–	**3180436**

वर्तमान में व्यय की स्थिति : प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित।
वितरण की स्थिति : लोक शिक्षण मद एवं समग्र शिक्षा मद अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक में अध्ययनरत कुल 3165005 बालक/बालिकाओं को छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा दो सेट गणवेशों की आपूर्ति करा दी गई है।
इसी प्रकार पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत विद्यालयों 15431 विद्यार्थियों को एक सेट गणवेश की आपूर्ति छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा आपूर्ति करा दी गई है ।

तालिका 14.2 निःशुल्क गणवेश योजना			
वर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
2022–23	208,24,90,000	1771911169	30,88,674 छात्र–छात्राए
2023–24	213,08,29,000	131,00,00,000	31,80,436 छात्र–छात्राए

14.1.4 सरस्वती सायकल योजनाः–

विभाग का नामः–	स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामः–	निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना।
क्रियान्वयन एजेंसीः–	स्कूल शिक्षा विभाग।
कार्यक्षेत्रः–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्यः–	बालिका शिक्षा को बढ़ावा।
मिलने वाले लाभः–	शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत बालिका।
चयन प्रक्रियाः–	शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट
विद्यालय में	नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 09 के छात्राओं के एसटी .एससी. एवं बीपीएल वर्ग के बालिकाओं के लिए प्रदाय किया जाता है।

शिक्षा सत्र शिक्षा 2022–23 एवं 2023–24 में शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृश्ट विद्यालय में कक्षा–09 में अध्ययनरत बालिकाओं को सायकल प्रदाय किया गया है। इस प्रयोजन हेतु वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 14.3 सरस्वती सायकल योजना

वर्षवार	प्राप्त आबंटन	व्यय आबंटन	लाभान्वित हितग्राहियो की संख्या
2022–23	944400000	653499929	158377
2023–24	734400000	678963794	164700

14.1.5 छात्र दुर्घटना बीमा :–

विभाग का नाम	– स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाम	– छात्र दुर्घटना बीमा
क्रियान्वयन एजेंसी	स्कूल शिक्षा विभाग
कार्यक्षेत्र	– सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य	– विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना
हितग्राही की पात्रताएं	– प्राथमिक उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्रायें एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं
मिलने वाले लाभ	– मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/– रूपये की क्षतिपूर्ति आंशिक अपंगता पर 50,000/– रूपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषजिक उपचार हेतु 25,000/– रूपये अधिकतम।
आवेदन की प्रक्रिया	– आवश्यक नहीं।
चयन प्रक्रिया	शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को लाभ की पात्रता है।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 से मृत्यु पर बीमा राशि की दर रूपये 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, वर्ष 2022–23 वर्ष 2023–24 में हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं व्यय की गई राशि आदि:–

तालिका 14.4 छात्र दुर्घटना बीमा

स.क्रं.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2022–23	450.00 लाख	450.00 लाख	480
2	2023–24	490.00 लाख	490.00 लाख	500

14.1.6 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :–

विभाग का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाम – कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य – अनुसूचित जाति, जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु
हितग्राही की पात्रताएं – शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राएं।
मिलने वाले लाभ – रू. 500/– प्रति वर्ष (दस माह हेतु)
आवेदन की प्रक्रिया – छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन

योजना के तहत वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति की कुल 68283 छात्राओं को कुल रूपये 2,87,52,500/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 30826 छात्राओं को कुल रूपये 1,14,77,500/– का भुगतान किया गया है।

योजना के तहत वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जनजाति की कुल 57046 छात्राओं को कुल रूपये 1,01,50,500/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 23319 छात्राओं को कुल रूपये 2,54,93,500/– का भुगतान किया जा रहा है।

14.1.7 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :–

विभाग का नाम	–	स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाम	–	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना
कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य	–	अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु
हितग्राही की पात्रताएं	–	अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत् माता–पिता के कक्षा 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को माता–पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय के आनलाईन बने प्रमाण पत्र के आधार पर।
मिलने वाले लाभ	–	छात्रावासी को 8000/– व गैर छात्रावासी को रू.3500/– प्रति वर्ष (दस माह हेतु)
आवेदन की प्रक्रिया	–	छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन।

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आनलाईन बने प्रमाण पत्र ही मान्य होने के कारण अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र आनलाईन बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

14.1.8 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :–

विभाग का नाम	–	स्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नाम	–	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना
कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य	–	SC/ST मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु
हितग्राही की पात्रताएं	–	योजना के तहत लक्ष्य की सीमा में शालाओं में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आये SC एवं ST के विद्यार्थी जिनके पास छ.ग.राज्य का स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययनरत् होना आवश्यक है।
मिलने वाले लाभ	–	रू. 15000/– एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एक बार देय।
आवेदन की प्रक्रिया	–	मेरिट के आधार पर सीधे विद्यार्थियों से शाला स्तर पर आवेदन तथा जिला स्तर से अंतिम परीक्षण उपरांत भुगतान हेतु संचालक, लोक शिक्षण को प्रेषित।
चयन प्रक्रिया	–	मेरिट सूची के आधार पर विद्यार्थी की शाला व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित व अग्रेषित आवेदन पर योजना के लक्ष्य की सीमा में सीधे विद्यार्थियों के खाते में संचालक, लोक शिक्षण से भुगतान।

योजना के तहत वर्ष 2022–23 में लक्ष्य अनरूप SC वर्ग के 300 विद्यार्थियों को रू. 45,00,000/– तथा ST वर्ग के 700 विद्यार्थियों को राशि रू. 1,05,00,000/– लाख का भुगतान किया जा रहा है। शेश विद्यार्थियों को वितरण प्रक्रिया में है। सत्र 23–24 से पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन व वितरण किया जाना प्रक्रिया में है।

14.1.9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना :–

- छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख प्राथमिकता के क्रम में राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृश्ट अंग्रेजी माध्यम एवं हिन्दी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए है। वर्तमान सत्र 2023–24 तक 403 अंग्रेजी माध्यम उत्कृश्ट विद्यालय तथा 348 हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुल 751 संचालित किए जा रहे है।
- स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम स्कूलों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना अंतर्गत प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है।
- 403 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1 लाख 70 हजार से विद्यार्थी तथा 348 हिन्दी माध्यम विद्यालयों में 2 लाख 20 हजार विद्यार्थी अध्ययरत है।
- इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त किया है।
- लगभग 154 बच्चों द्वारा नीट, जेईई, पीईटी, एन.डी.ए. आदि एक्जाम में क्वालिफाई भी किए है।
- स्वामी आत्मानंद उत्कृश्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 5588 पदों पर बेरोजगार युवाओं को संविदा भर्ती कराकर रोजगार प्रदान किया गया है तथा 3543 पदों को विभिन्न जिलों में संविदा भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, जिससे युवाओं में हर्श है।
- इन विद्यालयों में स्मार्टक्लॉस, उच्च गुणवत्ता युक्त भवन, मॉडर्न लाईब्रेरी, खेल मैदान, उत्कृश्ट प्रयोग शाला लैब आदि का संचालन किया जा रहा है जिससे प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के प्रति लोकप्रियता बढ़ी है।

- स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के संचालन से निर्धन एवं गरीब वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त होने से पालकों एवं जनप्रतिनिधियों में बहुत ही उत्साह है जिस के कारण सभी जगहों से और भी आत्मानंद विद्यालय खोले जाने की मांग लगातार की जा रही है।

14.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

14.2.1 मण्डल के मुख्य कार्य :–

1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा एवं डी.एड. की परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाफल घोषित कर अंकसूचियां जारी करना।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य
4. छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता
5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिये प्रयास करना।
7. अन्य गतिविधियां

14.3 समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ

समग्र शिक्षा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुई विद्यालयीन शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में इसमें भारत शासन का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।

- इसके अंतर्गत मानदण्ड अनुसार 03 कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर माध्यमिक शाला एवं 07 कि.मी. पर उच्चतर माध्यमिक शाला उन्नयित कर संचालित की जा रही है।

- आवश्यकतानुसार उन्नयित शालाओं का भवन, पोर्टा केबिन, आवासीय विद्यालय एवं कन्या छात्रावास, पूर्व से संचालित शालाओं में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्ष, पेयजल सुविधा, बालक/बालिका टॉयलेट सुविधा एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान रख कर निर्माण कार्य किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त उन्नयित विद्यालयों हेतु शिक्षक वेतन , शिक्षक प्रशिक्षण, आर टी ई अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को स्कार्ट एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, ब्रेल बुक एवं छात्रवृत्ति तथा सहायक सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।

- भारत शासन द्वारा सत्र 2013–14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत **कन्या छात्रावास, आई ई डी एस एस {समावेशी शिक्षा}, व्यावसायिक शिक्षा एवं आई सी टी** योजनाओ को शामिल किया गया है। राज्य में सत्र 2014–15 सें ये सभी योजनाऐं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित है।

14.4 शैक्षणिक सूचकांक :– सत्र 2022–23 के लिए राज्य के विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित समस्त मुख्य सूचकांक यू–डाईस 2022–23 के आधार पर निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 14.5 सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio)

विद्यालय की श्रेणी	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक	89.62	90.3	89.95
पूर्व माध्यमिक	91.26	91.91	91.58
हाई स्कूल	72.89	78.57	75.69
हायर सेकेंडरी	52.71	65.08	58.79

तालिका क. 14.6 शुद्ध नामांकन दर (Net Enrolment Ratio)			
विद्यालय की श्रेणी	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक	87.61	89.51	88.54
पूर्व माध्यमिक	90.97	91.83	91.39
हाई स्कूल	66.22	73.51	69.81
हायर सेकेंडरी	39.46	46.1	42.72

तालिका क. 14.7 ठहराव दर (Retention Rate)			
विद्यालय की श्रेणी	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक	96.97	96.66	96.82
पूर्व माध्यमिक	84.82	87.41	86.08
हाई स्कूल	70.17	79.24	74.59
हायर सेकेंडरी	39.32	49.69	44.35

तालिका क. 14.8 शाला त्याग दर (Drop out Rat)			
स्तर	बालक	बालिका	कुल
प्राथमिक	5.69	5.11	5.4
पूर्व माध्यमिक	7.34	5.83	6.59
हाई स्कूल	21.42	15.3	18.36
हायर सेकेंडरी	22.19	15.5	18.84

तालिका क. 14.9 अंतरण दर (Transition Rate)			
विद्यालय की श्रेणी	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक से पूर्व माध्यमिक	98.94	98.8	98.87
पूर्व माध्यमिक से हाई स्कूल	85.32	88.28	86.78
हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी	67.26	74.76	71.15

स्त्रोतः यूडाइस डाटा 2022–23

14.5 तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थाओं, फॉर्मेसी संस्थाओं, मैनेजमेंट संस्थाओं, एम.सी.ए. संस्थाओं एवं आर्किटेक्चर संस्थाओं में दी जाती है। उक्त संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक., एम.फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, 01 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय एवं 22 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कुल प्रवेश क्षमता 10290 के साथ संचालित है।

राज्य में 32 शासकीय, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8001 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है।

राज्य में 02 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 42 निजी संस्थाओं में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 3737 प्रवेश क्षमता, 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 14 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 449 प्रवेश क्षमता एवं 01 शासकीय एवं 84 निजी संस्थाओं में डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 5186 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं।

राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1104 प्रवेश क्षमता के साथ एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित है साथ ही 01 विश्वविद्यालयीन संस्था एवं 14 निजी संस्थाओं में 1710 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। 02 विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं 06 निजी संस्थानों में 548 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 29 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 34 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 19 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। फॉर्मेसी संस्थाओं को फॉर्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली तथा आर्किटेक्चर संस्थाओं को कॉउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.6 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमः– राज्य में कुल 47 पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित है। जिनमें 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 28 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, 01

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 14 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक शामिल हैं। इन संस्थाओं में निम्नानुसार 19 त्रिवर्षीय एवं 01 द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

14.7 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

14.7.1 छात्रवृत्तियाँ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये):– शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये मेरिट स्कालरशिप और मेरिट–कम–मीन्स स्कालरशिप रू. 1000 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को रू. 2000 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

14.7.2 बी.पी.एल. छात्रवृत्तिः– छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007–2008 से लागू की गई है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1000 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है ।

14.7.3 ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्लू.):– यह योजना नियामक संस्थाओं के दिशा निर्देशानुसार लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू है।

यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी। कांउसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह सांख्येत्तर सीटें केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होती है, यदि विगत अकादमिक वर्श में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो। अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार

सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण किया गया हो के अनुसार देय होती है। शासकीय संस्थाओं में जहॉ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14.7.4 छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :– छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

14.7.5 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :– तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत रू. 2 लाख तक की वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को रू. 4 लाख तक के ऋण पर मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले हो) के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज के भार में छूट प्रदान की जाती है। मोरेटोरियम अवधि के उपरांत राज्य के वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों जैसे :– बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव और बलरामपुर के निवासी शिक्षार्थियों को शून्य प्रतिशत एवं शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थिया को केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भार वहन करना होता है एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार, राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रदान किए गए ऋण ब्याज अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 14.10 उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (राशि करोड़ में)			
क.	सत्र	लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	ऋण ब्याज अनुदान की कुल राशि
01	2017–18	1540	2.76 करोड़
02	2018–19	2094	3.96 करोड
03	2019–20	2060	4.02 करोड़
04	2020–21	1474	2.90 करोड़
05	2021–22	1352	9.62 करोड

14.8 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

14.8.1 सिपेट का उद्देश्य:– विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रमशक्ति का निर्माण, प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई और प्लास्टिक उत्पादों के डिजाईन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना है।

14.8.2 महत्वपूर्ण लक्ष्य :– इसके अलावा सिपेट रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाना है। जिसके अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक पाठ्यक्रम जैसे कि 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एण्ड टेस्टिंग (PGD-PPT), एवं 3 वर्षीय डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (DPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (DPMT), एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त 04 वर्षीय बी. टेक (प्लास्टिक इंजीनियरिंग) पाठ्क्रम संचालित होता है। इसके अंतर्गत 377 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं अन्य प्रायोजक द्वारा लघुकालीन कौशल विकास पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। वर्श 2022–23 की अवधि में लगभग 900 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों को देश के विभिन्न नामी कंपनियों ने रोजगार दिया, जिसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्रों को अधिकतम रू. 5.00 लाख, बी.टेक (प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग) को अधिकतम रू. 7.00 लाख तथा लघुवधि पाठ्यक्रम में सफल प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम रू. 2.25 लाख तक वार्शिक वेतन दिया जाता है।

14.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :– वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये छ.ग. शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 197 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

तालिका 14.11 वर्षवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2014–15	146	17
2015–16	163	17
2016–17	172	09
2017–18	178	06
2018–19	178	0
2019–20	181	03
2020–21	184	03
2021–22	186	02
2022–23	186	00
2023–24	197	11

तालिका 14.12 विगत वर्षों में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत सीट
2015-16	18184
2016-17	19360
2017-18	25589
2018-19	28177
2019-20	33660
2020-21	34036
2021-22	34996
2022-23	37120
2023-24	37792

14.10 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	
जिले	33
संस्थायें	197
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09
महिलाओं के लिये विशेष	09
संचालित व्यवसाय	51
इंजीनियरिंग व्यवसाय	34
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	17
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	37792

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	
जिले	21
संस्थायें	113
संचालित व्यवसाय	21
इंजीनियरिंग व्यवसाय	11
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	10
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	21040

क्र.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
1	बालोद	8	1560	
2	बेमेतरा	5	812	
3	बलरामपुर	8	848	
4	बस्तर	9	1904	
5	बीजापुर	4	448	
6	बिलासपुर	9	3020	
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	6	1496	
8	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	4	496	
9	धमतरी	9	1780	
10	दुर्ग	8	3160	
11	कबीरधाम	4	412	
12	जशपुर	8	984	
13	जॉजगीर–चॉपा	7	1052	
14	गरियाबंद	5	704	
15	कोरिया	2	304	
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	3	784	
17	कोरबा	6	1448	
18	कोण्डागांव	8	948	
19	नाराणपुर	3	408	
20	मुंगेली	3	520	
21	महासमुन्द	5	1056	
22	रायपुर	13	2896	
23	रायगढ़	9	2132	
24	राजनांदगांव	6	1128	
25	उत्तर बस्तर (कांकेर)	8	1408	
26	सरगुजा	8	1484	
27	सूरजपुर	9	1376	
28	सुकमा	3	440	
29	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	2	128	
30	मनपुर–मोहला–अंबागढ़ चौकी	3	452	
31	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	4	648	
32	सक्ती	5	936	
33	सरंगढ़–बिलाईगढ़	3	552	
	योग	**197**	**37792**	

14.11 उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक युवा को उच्च शिक्षा के सर्वसुविधा सम्पन्न अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सत्र 2022–23 में 6 नवीन शासकीय महाविद्यालय तथा 25 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। विभाग के प्रदेश–व्यापी विस्तार के कारण राज्य में अब कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, 15 निजी विश्वविद्यालय, 285 शासकीय महाविद्यालय, 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अनुदान–अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। फलतः वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल छात्र–संख्या 335139 है।

महाविद्यालय की संख्यात्मक वृद्धि के साथ–साथ अधोसंरचनात्मक विकास तथा गुणात्मक उन्नयन के प्रति भी विभाग निरन्तर सचेश्ट है। फलस्वरूप विभिन्न विशयों के 1167 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल एवं 39 क्रीडा अधिकारियों को महाविद्यालयों में नियुक्ति देने के पश्चात्, आगामी आवश्यकतानुरूप शैक्षणिक/अशैक्षणिक नवीन पदों की यथेश्ट स्वीकृति प्रदान की गई है।

छात्रों की अध्ययन–सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पूर्वसंचालित तथा नवीन विशयों/संकायों में हजारो सीट–वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 8 स्वशासी महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के साथ च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सहित चारवर्शीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें मूल्य आधारित शिक्षा का भी समावेश किया गया है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन के निरंतर उद्यम की श्रृंखला में प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण की विशेष सुविधा इस सत्र से प्रदान की गई है।

शैक्षणिक संस्थाओ के गुणवत्ता–मूल्यांकन के प्रति विभागीय सजगता के कारण प्रदेश के पात्र 211 शासकीय महाविद्यालयों में 175 महाविद्यालयों का तथा 244 अशासकीय महाविद्यालयों में से 27 का नैक मूल्यांकन हो चुका है। अन्य महाविद्यालयों का नैक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सकल नामांकन अनुपात (GER) 3.5 था, जो बढ़कर अब 18.6 हो गया है।

सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के विद्यार्थियों को आधुनिकतम सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए, विद्यासम्पन्न सक्षम मानव संसाधन समूह का निर्माण करते हुए, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर प्रदेश के उच्च शैक्षणिक स्तर को प्रतिष्थापित करना विभाग का लक्ष्य है और ''विद्यया विजयामहे'' के आदर्श मंत्र के साथ विभाग इस लक्ष्य–प्राप्ति की दिशा में निरन्तर उन्नति के सोपानों पर अग्रसर है।

14.12 विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

1. सत्र 2023–24 में प्रदेश में 50 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं, जिसमें शैक्षणिक / अशैक्षणिक के 1590 पद स्वीकृत किये गये हैं।

2. सत्र 2023–24 में नवीन विषय / संकाय अन्तर्गत 41 महाविद्यालयों में 205 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।

3. सत्र 2023–24 में प्रदेश में 23 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं, जिसमें 4625 सीट स्वीकृत किये गये हैं।

4. सत्र 2023–24 में 44 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों / संकाय में 2520 एवं 40 अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों / संकाय में 2725 सीट–वृद्धि की गई एवं 63 अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषयों के लिए 5320 सीट की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के समस्त 33 जिलों में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। अन्य महाविद्यालयों में सह–अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है, परिणामस्वरूप शासकीय महाविद्यालयों में आज लैंगिग अनुपात वर्ष 2004 की तुलना में 1:0.7 से बढ़कर अब 1:1.87 हो गया है।

6. छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सकल नामांकन अनुपात (GER) 3.5 था, जो बढ़कर अब 19.6 हो गया है। शिक्षा सत्र 2023–24 से 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं।

7. प्रदेश में वर्तमान 04 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 2 निजी विश्वविद्यालय नैक से मूल्यांकित हो चुके हैं। इसी प्रकार 221 पात्र शासकीय महाविद्यालयों में 196 महाविद्यालय नैक मूल्यांकित हो चुके हैं, अर्थात् लगभग 90 प्रतिशत महाविद्यालय

नैक मूल्यांकित हो चुके हैं जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिये उच्च शिक्षा विभाग को वर्ष–2023 में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

8. सत्र 2023–24 में भृत्य से सहायक ग्रेड–3 पर 32, सहायक ग्रेड–3 से सहायक ग्रेड–2 पर 21, सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–1 पर 20, सहायक ग्रेड–1 से छात्रावास अधीक्षक पर 10 एवं प्रयोगशाला परिचारक से प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर 102 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

9. सत्र 2023–24 में सहायक ग्रेड–03 के पद पर 01 तथा भृत्य के पद पर 5 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

10. वर्तमान सत्र 2023–24 में उच्च शिक्षा विभाग का बजट रु.1217.75 करोड़ हैं, जो राज्य गठन के प्रथम वर्ष के बजट की तुलना में तीन गुना हो चुका हैं।

11. प्रदेश के कुल 335 शासकीय महाविद्यालयों में से 224 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन हैं, 111 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं तथा 17 महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय 465.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

तालिका 14.13 शासकीय महाविद्यालयों की संवर्गवार छात्र एवं छात्राओं की संख्याः–

संवर्ग	स्नातक एवं स्नातकोत्तर			महायोग
	छात्र	छात्रा	योग	
सामान्य	11329	21184	32513	293474
अनुसूचित जाति	16970	27723	44693	
अनुसूचित जनजाति	23787	47120	70907	
अन्य पिछड़ा वर्ग	50056	95305	145361	
योग –	**102142**	**191332**	**293474**	

14.13 छात्रवृत्ति

➢ **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं

स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है। सत्र 2022–23 में बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल 8878 विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 28832600.00 डी.बी.टी के माध्यम से वितरित की गई है।

- **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना** :– बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं।

अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है।

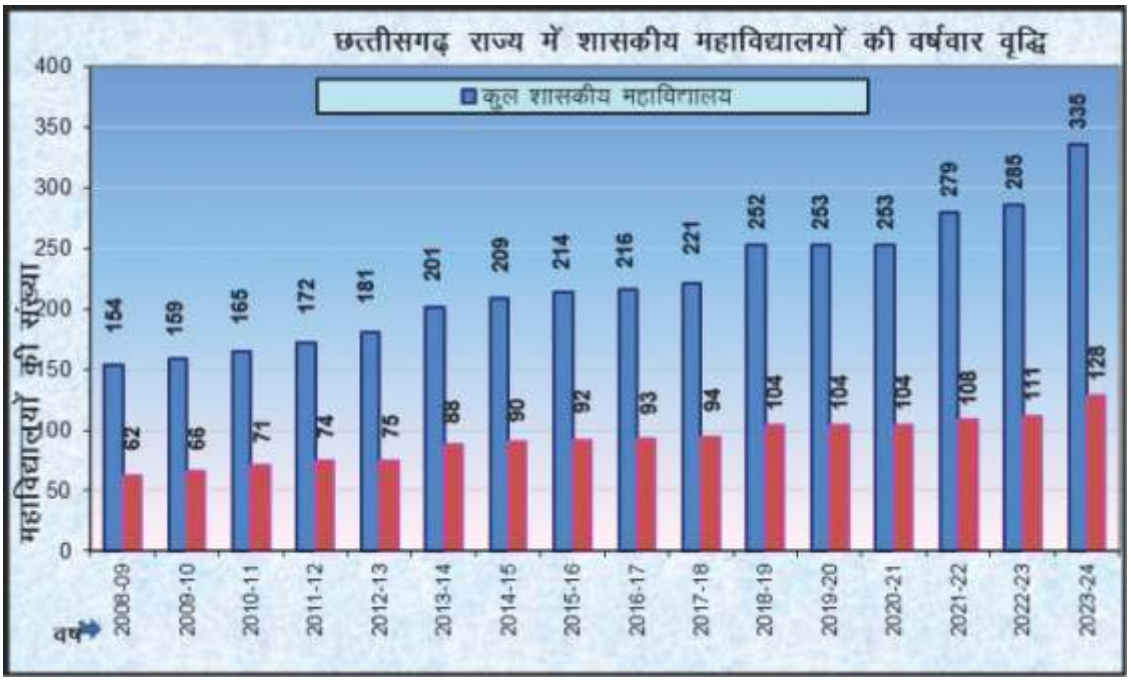

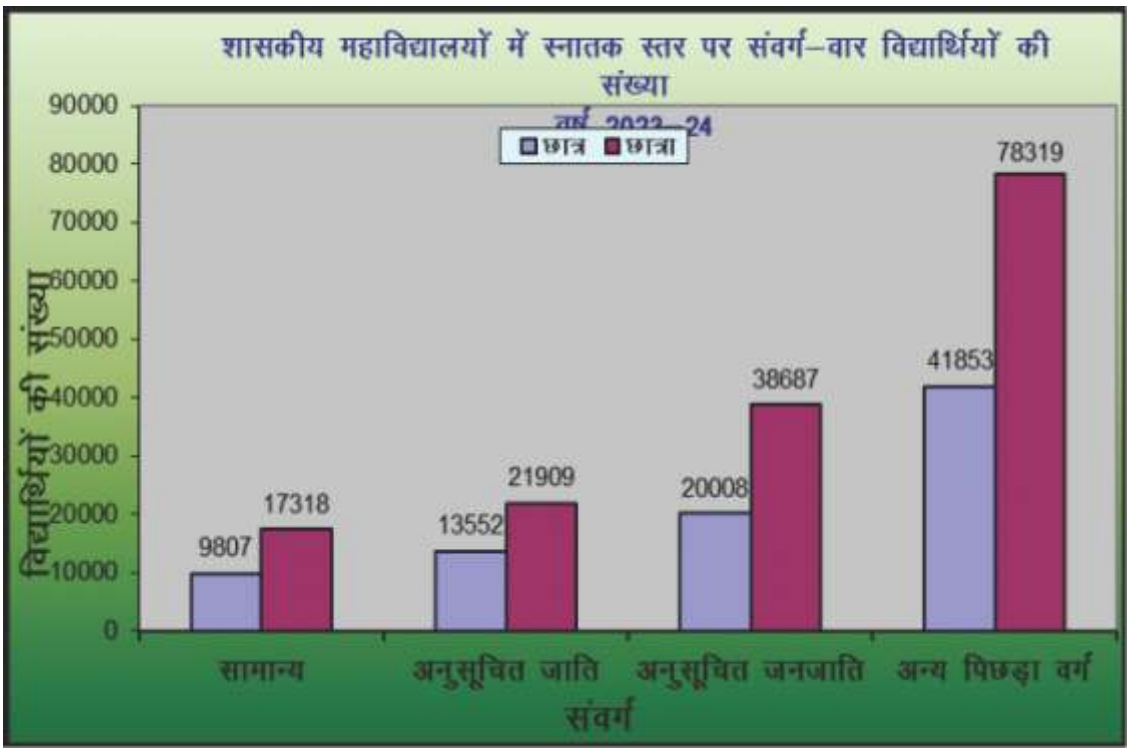
शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संवर्ग–वार विद्यार्थियों की संख्या
छात्र
छात्रा
विद्यार्थियों की संख्या
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
9807
17318
13552
21909
20008
38687
41853
78319
सामान्य
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग
संवर्ग

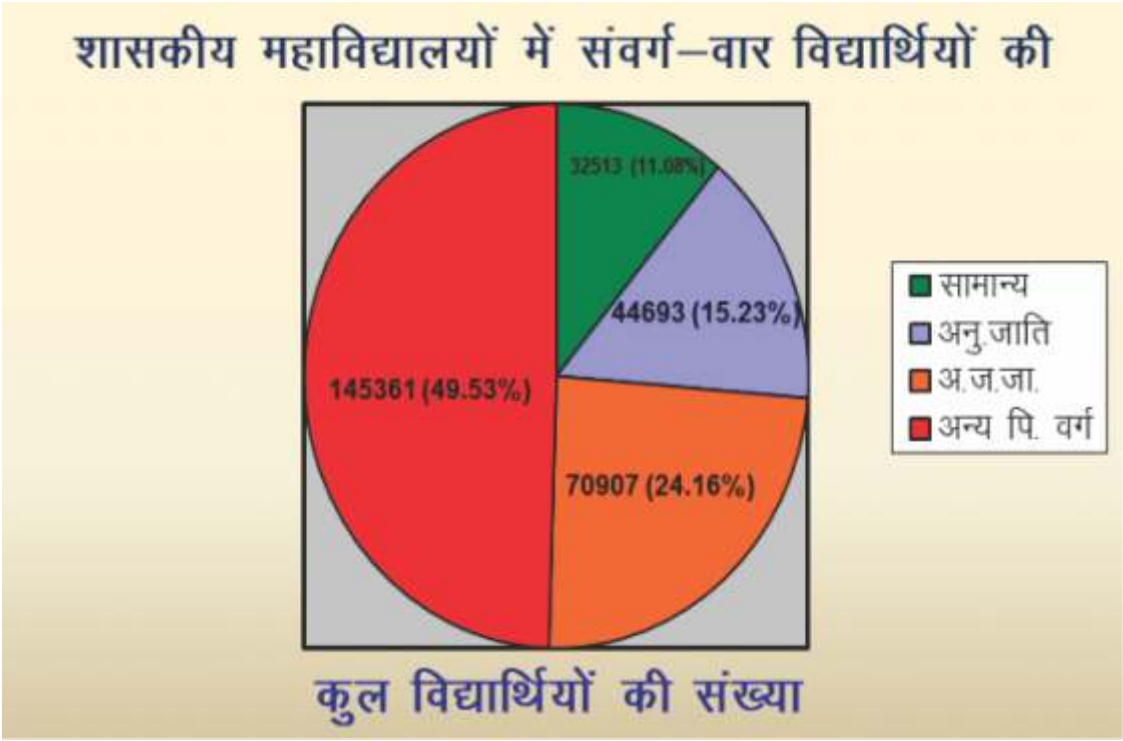
शासकीय महाविद्यालयों में संवर्ग–वार विद्यार्थियों की
32513 (11.08%)
44693 (15.23%)
145361 (49.53%)
70907 (24.16%)
सामान्य
अनु.जाति
अ.ज.जा.
अन्य पि. वर्ग
कुल विद्यार्थियों की संख्या